

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जनवरी 2017—पौष 22, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2017

क्र. 723-9-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०१७

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक ८ जनवरी, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ जनवरी, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, २०१६ है.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक २३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
२४.	अवंतिका विश्वविद्यालय, उज्जैन	महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड एजुकेशनल रिसर्च, १२४, एक्स सर्विसमेन कॉलोनी, पाउड रोड, कोथरूड, पुणे.	बाम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५० (बाम्बे अधिनियम, क्रमांक २९ सन् १९५०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक ट्रस्ट.	अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम, ग्राम लोकोडा, तहसील एवं जिला उज्जैन.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2017

क्र. 9-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 5 of 2017

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) TRITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th January, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Tritiya Sanshodhan Adhiniyam, 2016. Short title.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidhyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 23 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :— Amendment of Schedule.

S.No.	Name of private University	Name of Sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"24.	Avantika University, Ujjain.	Maharashtra Academy of Engineering and Educational Research, 124, Ex- Servicemen Colony, Paud Road, Kothrud, Pune.	Public Trust registered under the Bombay Public Trust Act, 1950 (Bombay Act No. 29 of 1950).	Avantika University, Vishvanathpuram, Gram Lekoda, Tehsil and District Ujjain.	Whole of Madhya Pradesh".